राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

63वीं बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2017 से संबंधित कार्य बिन्दु

क्र.सं	कार्य बिन्दु	कृत कार्रवाई
1	**राज्य सरकार से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण :**	
	क) कृषि ऋणों के विरुद्ध **"भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार"** से संबंधित वेब एप्लीकेशन को बैंकों के उपयोगार्थ जारी करने से संबंधित औपचारिक पत्र राजस्व विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा जारी किया जाना है।	**क)** इस विषयक राजस्व विभाग, उत्तराखंड शासन से औपचारिक पत्र जारी किया जाना प्रतीक्षित है।
	ख) बैंकों द्वारा **"वसूली प्रमाण पत्र"** को ऑन-लाइन फाईल करने से संबंधित वेब एप्लीकेशन को बैंकों के उपयोगार्थ जारी करने से संबंधित शासनादेश उत्तराखंड शासन द्वारा जारी किया जाना है।	**ख)** इस संबंध में शासन स्तर से शासनादेश जारी किया जाना प्रतीक्षित है।
	ग) सरकार प्रायोजित समस्त ऋण योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किया जाना है।	**ग)** सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत संबंधित विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किए जा रहे हैं।
	घ - i) वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 में आरसेटी संस्थानों द्वारा बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों पर व्यय की गयी राशि **क्रमश: ₹ 6.72 लाख, ₹ 3.65, ₹ 3.53 लाख**, **₹ 0.62 लाख**, **₹ 2.30 लाख, ₹ 9.54** तथा **₹ 6.44 लाख**, जिनमें से प्रथम चार काफी समय से लम्बित हैं, की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जानी है।	**घ - i)** शासन स्तर पर लम्बित राशि की प्रतिपूर्ति किया जाना अभी प्रतीक्षित है।
	घ - ii) आरसेटी संस्थान देहरादून, नैनीताल एवं टिहरी हेतु आबंटित / चयनित भूमि में विभिन्न तकनीकी एवं स्थानीय कारणों से परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है।	**घ - ii)** इस विषयक शासन स्तर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
2	**बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण :**	
	क) समस्त बैंक दिसम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु उन्हें आबंटित वार्षिक ऋण योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानक के अनुरुप 70% की सेक्टरवार प्राप्ति सुनिश्चित करें।	**क)** वित्तीय वर्ष 2017-18 के दिसम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक समस्त बैंकों द्वारा वार्षिक ऋण योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानक 70% के सापेक्ष **66%** की उपलब्धि दर्ज की गयी है।

	सितम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक वार्षिक ऋण योजना के तहत 40% से कम प्रगति दर्ज करने वाले बैंक नियंत्रक यथा **सहकारी बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, यूको बैंक एवं इण्डियन ओवरसीज बैंक** वित्तीय वर्ष के शेष बचे चार महीनों **(दिसम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक)** में उन्हें आवंटित वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ऋण वितरण की माहवार कार्ययोजना बनाकर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करें।	संबंधित बैंकों द्वारा दिसम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति पर वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी है : **बैंक का नाम** / **उपलब्धि सित., 2017** / **उपलब्धि दिस., 2017** सहकारी बैंक — 34% — 64% इलाहाबाद बैंक — 31% — 65% **पंजाब एण्ड सिंध बैंक — 30% — 44%** केनरा बैंक — 27% — 54% बैंक ऑफ बड़ौदा — 22% — 77% **यू.जी.बी. — 19% — 45%** बैंक ऑफ इण्डिया — 14% — 62% **यूको बैंक — 13% — 34%** **आई.ओ.बी. — 06% — 32%**
	ख) सभी बैंक अनिवार्य रुप से तहसील स्तर पर वसूली प्रमाण पत्रों के मिलान का कार्य पूर्ण कर, इसकी पुष्टि **दिनांक 15 जनवरी, 2018** तक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएं।	**ख)** समस्त बैंकों द्वारा वसूली प्रमाण पत्रों का मिलान का कार्य पूर्ण किए जाने की पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराना अभी तक लम्बित है।
	ग) भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरुप किसान क्रेडिट कार्ड एवं भूमि विकास जैसे सिंचाई, कुँआ आदि को छोड़कर कृषि क्षेत्र की अन्य अनुषंगी गतिविधियों के **₹ 10.00 लाख** तक के ऋण भी **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** के अंतर्गत सम्मिलित कर लिए गए हैं। अत: सभी बैंक इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण प्रदान करें।	**ग)** योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दिसम्बर त्रैमास की समाप्ति तक बैंकों द्वारा **52,086** लाभार्थियों को **₹ 970.45 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं, जिसमें से **₹ 83.27 करोड़** के ऋण कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों के अंतर्गत **10,047** लाभार्थियों को प्रदान किए गए हैं।
	घ) सभी बैंक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2017 में दिए गए निर्देशों के अनुरुप संसूसचित फसलों गेहूँ एवं मसूर हेतु दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक स्वीकृत / वितरित फसली ऋणों का बीमा कर, बीमा प्रीमियम अन्य आवश्यक परिपत्रों के साथ क्रियान्वयक अभिकरण एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को **दिनांक 15 जनवरी, 2018** तक अनिवार्यत: उपलब्ध कराएं।	**घ)** एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड से अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुरुप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2017 के अंतर्गत 55,343 कृषकों की फसल को बीमित किया गया है।
	ङ) समस्त बैंक अपने सभी बैंक खातों के आधार से सत्यापन के कार्य को अनिवार्य रुप से दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण करें।	**ङ)** समस्त बैंकों द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अभियान के रुप में वांछित कार्यवाही की जा रही है।

	च) समस्त संबंधित बैंक 31 दिसम्बर, 2017 तक कनेक्टिविटी रहित एस.एस.ए. में वी.-सैट लगाने के कार्य को पूर्ण करें।	**च)** अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुरुप समस्त संबंधित बैंक द्वारा **755** कनेक्टिविटी रहित एस.एस.ए. में से **440** एस.एस.ए. में वी.-सैट लगाने के कार्य को पूर्ण कर लिया गया है तथा **315** एस.एस.ए. में वी.-सैट लगाने का कार्य अभी लम्बित है।
	छ) सभी बैंक अपनी चयनित शाखाओं में आधार पंजीकरण केन्द्र की स्थापना के कार्य को शीध्रातिशीध्र पूरा करें।	**छ)** बैंकों से उनकी चयनित शाखाओं में आधार पंजीकरण केन्द्र की स्थापना किए जाने की सूचना प्रतीक्षित है।
	ज) सभी बैंक प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों के सापेक्ष शत प्रतिशत रु-पे डेबिट कार्ड जारी करें।	**ज)** इस विषयक बैंक नियंत्रकों को अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के स्तर से वांछित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
	झ) समस्त बैंक स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रत्येक बैंक शाखा हेतु निर्धारित कम से कम एक महिला तथा एक अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को ऋण प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें।	**झ)** स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के अंतर्गत सभी बैंकों द्वारा 31 दिसम्बर, 2017 तक निम्नवत् प्रगति दर्ज की गई है। **खातों की संख्या** / **ऋण राशि (₹ करोड़ में)** **महिला** 787 / 174.65 **अनुसूचित जाति / जनजाति** 128 / 25.29 **योग** 915 / 199.94
	ञ) भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एम.आई.जी. - 1 तथा एम.आई.जी. - 2 के तहत कवर्ड एरिया में संशोधन कर बढ़ा दिया गया है, जिससे संबंधित सर्कुलर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सभी बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों को उनकी आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक से प्रेषित कर दिया गया है।	**ञ)** इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों एवं बैंक नियंत्रकों को समुचित निर्देश जारी कर दिए गए है।
	अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला स्तरीय डी.सी.सी / डी.एल.आर.सी. की बैठकों में प्रधानमंत्री आवास योजना की नोडल एजेन्सी हुडको एवं एन.एच.बी. के प्रतिनिधियों को भी योजना के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण एवं प्रचार-प्रसार हेतु आमंत्रित किया जाए।	इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों को समुचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
	समस्त बैंक अपने द्वारा प्रदान किए जा रहे गृह ऋण, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता को पूरा करते हैं, को इस योजना के अंतर्गत कवर करना सुनिश्चित करें।	बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे गृह ऋण, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता को पूर्ण करते हैं, को इस योजनांतर्गत शामिल करने की पुष्टि की गयी है।

	ट) समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत बैंक शाखाओं को प्राप्त / लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक अनिवार्यत: करना सुनिश्चित करें।	**ट)** इस संबंध में समस्त बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों को विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में करने हेतु पुन: निर्देशित किया गया है।
	ठ) निम्न **जिलों** का ऋण-जमा अनुपात सितम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति पर **40 प्रतिशत** से कम रहा है। **जिला** — **सितम्बर, 2017** बागेश्वर — 21% अल्मोड़ा — 22% चम्पावत — 23% पौड़ी — 24% रुद्रप्रयाग — 24% चमोली — 26% टिहरी — 26% पिथौरागढ — 31% देहरादून — 34%	**ठ)** जिन निम्न **जिलों** का ऋण-जमा अनुपात सितम्बर, 2017 त्रैमास में **40 प्रतिशत** से कम रहा है, उन्होंने दिसम्बर, 2017 त्रैमास में निम्नवत् प्रगति दर्ज की है। **जिला** — **सितम्बर, 2017** — **दिसम्बर, 2017** बागेश्वर — 21% — 29% अल्मोड़ा — 22% — 22% चम्पावत — 23% — 24% पौड़ी — 24% — 23% रुद्रप्रयाग — 24% — 26% चमोली — 26% — 26% टिहरी — 26% — 25% पिथौरागढ — 31% — 32% देहरादून — 34% — 35%
	संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक, अपने जिले में क्षेत्रवार संभाव्यता के आधार पर ऋण वितरण की कार्ययोजना तैयार कर, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में इस विषयक गठित उप-समिति की बैठक में व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत बैंकों एवं रेखीय विभागों के सहयोग से कार्ययोजना को क्रियान्वित कराते हुए जिले के ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास करें।	इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के स्तर से समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों को समुचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा दिसम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति पर बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं देहरादून जिलों के ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि दर्ज की गयी है।
	अग्रणी जिला प्रबंधक अपने जिले के उद्योग संघ के प्रतिनिधि से उद्योगों से संबंधित ऋणों को बढ़ावा देने हेतु सुझाव प्राप्त करें।	इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
	साथ ही सभी अग्रणी जिला प्रबंधक, त्रैमास समाप्ति के 45 दिनों के अंदर एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड की बैठक से पूर्व बी.एल.बी.सी. / डी.सी.सी. / डी.एल.आर.सी. की बैठकों का अनिवार्यत: आयोजन करना सुनिश्चित करें।	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के स्तर से इस विषयक समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

3	सभी बैंक नियंत्रक, 31 दिसम्बर, 2017 की **त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी 1-47** पूर्णत: जाँच करने के उपरांत एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट **www.slbcuttarakhand.com** पर सही एवं वास्तविक आँकड़े, दिनांक **15 जनवरी, 2018** तक ऑन-लाइन प्रेषित करें। **(कार्रवाई - सभी बैंक)**	बैंकों द्वारा एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर ऑन-लाइन डाटा 30 जनवरी, 2018 तक प्रेषित किए गए।

****